न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी गणराज बडगोती (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

दावा संख्या–36/2017
वाद प्रस्तुति दिनांक–07.03.2017
निर्णय दिनांक–19.12.2025

1. जगदीश पुत्र हरनाथ जाति जाट निवासी करीमपुरा मजरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
2. सूरजकरण पुत्र हरनाथ जाति जाट निवासी करीमपुरा मजरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
3. नानूलाल पुत्र हरनाथ जाति जाट निवासी करीमपुरा मजरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
4. बद्री पुत्र हरनाथ जाति जाट निवासी करीमपुरा मजरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
5. श्योराम पुत्र हरनाथ जाति जाट निवासी करीमपुरा मजरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

वादीगण

बनाम

1. भूरा पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी करीमपुरा मजरा तह0 पीपलू जिला टोंक (मृत्तक)

1/1.उद्दालाल पुत्र भूरा जाति जाट निवासी करीमपुरा मजरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

1/2.बदाम पुत्री भूरा जाति जाट निवासी करीमपुरा मजरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

2. मु. भुरी पुत्री गंगाराम जाति जाट निवासी करीमपुरा मजरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
3. तहसीलदार पीपलू जिला टोंक (राज0)

प्रतिवादीगण

अधिवक्ता वादी–श्री राजाराम चौधरी एड0
प्रतिवादी संख्या 1/1, 1/2–अनुपस्थित
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 02–श्री विवेक चौधरी एड0

दावा बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 92 ए व 188, 209 राज.टि.एक्ट 1955

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण बउनवानी जगदीश वगै0 बनाम भूरा वगै0 प्रकरण संख्या 36/2017 के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमि आराजी ख0न0 3335 रकबा 02–17 बीघा जिसके

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

साबिक ख0न0 2433 मिन रकबा 02—17 बीघा वाके ग्राम पीपलू वादीगण के पिता एवं पति स्व. हरनाथ पुत्र जोधा कोम जाट निवासी ग्राम करीमपुरा देवपुरा मजरा पीपलू के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। उक्त आराजी को प्रतिवादीगण के पिता स्व. गंगाराम पुत्र उंकार जाति जाट निवासी ग्राम करीमपुरा देवपुरा मजरा पीपलू ने अवैध एवं अवैधानिक तरीके से गत सेटलमेन्ट सम्वत् 2028 से 2047 में सेटलमेन्ट कर्मचारियेां से साजिस करके अपने नाम करवा लिया। जिसका उसको कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही था। प्रतिवादी 01 लगायत 02 के पिता स्व. गंगाराम ने सहायक भू—प्रबन्धक अधिकारी टोंक के समक्ष इस आशय का प्रार्थना पत्र दिनांक 06.10.1972 को पेश किया कि ख0न0 2925/5/1 वाके ग्राम पीपलू में उसका 1/2 हिस्सा है, और 1/2 हिस्सा हरनाथ का है। जिसमें 1/2 हिस्सा अंकित करवाया जावे, लेकिन उक्त आराजीयात बाबत् दिये गये आवेदन पत्र की पुश्त पर तत्त्कालिन भू—प्रबंधन कर्मचारियो व अधिकारियों ने गलत रूप से ख0न0 3335 रकबा 02—07 बीघा वाके ग्राम पीपलू जो कि तन्हा वादीगण के स्व. पिता व पति हरनाथ की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि थी। जिसको अवैध व अवैधानिक तरीके से उसके नाम से हटा कर प्रतिवादीगण के पिता स्व. गंगाराम की खातेदारी में अंकित कर दिया, जबकि उक्त आराजी पर वादीगण के पिता एवं पति स्व. हरनाथ का कब्जा एवं काश्त बहैसियत खातेदार काश्तकार के वास्तविक रूप से चला आ रहा था। उसकी मृत्यु आज से 25 वर्ष पूर्व हो चुकी है, के उपरान्त से लगातार आज दिन तक वादीगण का ही उक्त आराजी पर कब्जा एवं काश्त चला आ रहा है और वे शांतिपूर्वक बहैसियत खातेदार काश्तकार के निर्बाध रूप से काश्त करते चले आ रहे है। स्व. हरनाथ का उसके जीवन से लगातार कब्जा एवं काश्त होने के कारण उक्त आराजी पर कब्जे के आधार पर वेसे भी वादीगण कानून खातेदार काश्तकार हो चुके है। इसलिए वादीगण को उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे, यदि वादीगण को उक्त विवादित आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित नही किया जाता तो वादीगण अपने जायज हक व अधिकार से वंचित हो जावेगे। जिसकी क्षतिपूर्ति संभव नही हो सकेगी। विवादीत आराजीयात प्रतिवादीगण के पिता स्व. गंगाराम के नाम गलत रूप से अंकित हो गई, लेकिन स्व. गंगाराम ने अपने जीवन काल में वादीगण एवं उनके पिता को यही आश्वासन देता रहा कि यह जमीन तुम्हारी है और मै तुम चाहोगे, तब भी इस भूमि के संबंध मे बयान कर तुम्हारे नाम दर्ज करवा दूंगा। स्व. गंगाराम की मृत्यु आज से 5 वर्ष पूर्व हो चुकी हैं और उसकी मृत्यु उपरान्त का दाखिल खारिज भी अन्य आराजीयात के साथ प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 02 के नाम अंकित हो जाने की वजह से अब उनके मन में बेईमानी आ गई है और वे खुलमखुला गांव में यह कर रहे है कि यह भूमि तो हमारे नाम है और विवादित आराजीयांत को भी हस्तान्तरित करके रहेगें या किसी भी प्रकार से खुर्द—बुर्द करेगें। वादीगण हमारा कुछ भी नही बिगाड सकते है। ऐसी स्थिति में अब वादीगण के लिए यह भी आवश्यक हो गया है कि वे प्रतिवादीगण को सदा सर्वदा के लिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवा दे कि वे विवादित आराजीयात में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार से मजाहमत, मदाखलत

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

बेजा नही करे, हस्तान्तरित नही करे। यदि प्रतिवादीगण को पाबन्द नही किया गया तो प्रतिवादीगण उक्त भूमि को किसी भी प्रकार से खुर्द–बुर्द कर देगे एवं हस्तानान्तरित कर देगे, जिसके पक्षकारान में आपस में अनावश्यक विवाद व मुकदमेबाजी बढेगी। इसलिए प्रतिवादीगण को सदा सर्वदा के लिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है कि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 दोराने वाद विवादित आराजीयात का न्यायालय की अनुमति बिना दिनांक 03.11.2017 को विक्रय पत्र तहरीर करवाकर पंजीयन करवाया है, प्रारम्भतः ही वादीगण के हितो के प्रतिकूल तथा बेअसर है। उक्त विक्रय पत्र अवैध एवं शून्य है। उसकी कोई कानूनी मान्यता नही है, तथाकथित क्रेतागण को भी कोई अधिकार उत्पन्न नही होते है। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा प्रतिवादी संख्या 04 व 05 के पक्ष में आराजी ख0न0 3333 रकबा 02–17 बीघा का दौराने वाद वादग्रस्त भूमि का न्यायालय की अनुमति के बिना दिनांक 03.11.2017 को विक्रय पत्र तहरीर कर पंजीयन करवाया था, जो वादीगण के हितों के प्रति आरम्भतः ही अवैध एवं शून्य था। जिसको वादीगण द्वारा माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश टोंक में अकृत एवं शून्य घोषित किये जाने हेतु उनवानी प्रकरण जगदीश बनाम भूरा प्रकरण संख्या 22/2020 के द्वारा अपील किये जाने के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश टोंक ने अपने न्याय निर्णय दिनांकं 26.11.2024 को विवादित विक्रय पत्र को अकृत/शून्य घोषित कर दिया गया है। अतः डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् उद्घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज पारित फरमायी जाकर ख0न0 3335 रकबा 02–17 बीघा साबिक ख0न0 2433 मिन् रकबा 02–17 बीघा वाके ग्राम पीपलू के वादीगण खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती करवायी जाकर प्रतिवादीगण के नाम का अंकन हटवाया जाकर उनके स्थान पर वादीगण का नाम बतौर खातेदार काश्तकार के अंकित करवाया जावे तथा विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान की जाकर प्रतिवादीगण को सदा सर्वदा से स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे की वे आराजी ख0न0 3335 रकबा 02–17 बीघा वाके ग्राम पीपलू में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार से मजामहत व मदाखलत नही करे एवं उक्त आराजीयात को किसी प्रकार से खुर्द–बुर्द, हस्तान्तरित नही करे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री विवेक चौधरी ने जवाब वादपत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी द्वारा वादपत्र में संशोधन करवाया जाकर पैरा संख्या 3 ए जोडा गया है, उसमें वर्णित तथ्य पूर्णतः गलत है। स्वीकार नही है। वादग्रस्त आराजी के प्रतिवादी संख्या 01 व 02 रिकॉर्डेड काबिज काश्तकार अभिधारी थे और उन्हे विधिक प्रावधानो के तहत् अपनी अपनी कृषि आराजीयात को विक्रय करने का पूर्ण हक व अधिकार प्राप्त था, प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा प्रतिवादी संख्या 04, 05 के हक में करवाया गया विक्रय पत्र तब तक अवैध व शून्य नही है। जब तक वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद वादीगण के हक में डिक्री नही हो जाता है, गलत तथ्यो के आधार पर केवल मात्र वाद प्रस्तुत कर देने मात्र से प्रतिवादी संख्या 01, 02 के हक अधिकार वादग्रस्त आराजी से

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

समाप्त नही हो जाते है और ना ही उनके द्वारा किया जाने वाला विक्रय पत्र अवैध हो जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के हक अधिकार वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 04, 05 में निहित हो चुके है। वचादीगण का कभी भी वाद ग्रस्त आराजी पर कब्जा नही रहा है। वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 केक स्थान पर क्रेता प्रतिवादी संख्या 04, 05 वादग्रस्त आराजी पर काबिज हो चुके है। वादग्रस्त आराजी से वादीगण का किसी तरह का कोई संबंध व सरोकार नही है। इस कारण उनके द्वारा प्रतिवादी संख्या 01, 02 की खातेदारी को तथा प्रतिवादी संख्या 03, 04 के हक मे करवाये गये विक्रय पत्र को चेलेज करने का अधिकार प्राप्त नही है। संशोधित वादपत्रं का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत संशोधित वादपत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वादपत्र, जवाब वादपत्र के अभिवचनों के आधार पर निम्नानुसार विवाद्यक बिन्दु कायम किये गये, जो इस प्रकार है:–

1. आया आराजी खसरा न. 3335 जिसके साबिक खसरा नम्बर 2433 मिन वाके ग्राम देवपुरा मजरा पीपलू वादीगण के पिता हरनाथ पुत्र जोधा जाट की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि है।

वादीगण

2. आया प्रतिवादीगण के पिता ने सेटलमेन्ट संवत् 2028 में साज़िश करके अपने नाम लगा ली, जो दुरूस्त किये जाने योग्य है।

वादीगण

3. आया प्रतिवादीगण 1 व 2 ने दोराने वाद विवादित आराजीयात का विकय कर दियां गया था जिसको माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश टोंक ने उनवानी प्रकरण जगदीश बनाम भूरा प्रकरण संख्या 22/20 में अपने निर्णय दिनांक 26.11.2024 को अकृत एवं शून्य घोषित कर दिया गयां है।

वादीगण

4. आया वादीगण खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी है एवं प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है।

वादीगण

5. आया वाद पत्र स्वीकार नही है, वाद पत्र मे हर्जा–खर्चा खारिज किया जावे।

प्रतिवादीगण

6. अनुतोष ?

विवाद्यक कायम कर वादी की साक्ष्य ली गई। वादीगण ने वाद पत्र के समर्थन में मौखिक एवं दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत किये। वादीगण ने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेज साक्ष्य के रूप में नकल प्रार्थना

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

पत्र दिनांक 06.10.1972 जो प्रदर्श–1 है, नकल खसरा संवत् 2022 ग्राम पीपलू जो प्रदर्श–2 है, नकल मिसल बंदोबस्त संवत् 2028 जो प्रदर्श–3 है, नकल मिलान क्षेत्रफल जो प्रदर्श–4 है, नकल जमाबंदी संवत् 59 से 62 जो प्रदर्श–5 है, नकल जमाबंदी खाता संख्या 40 संवत् 2075 से 2078 जो प्रदर्श–6 है एवं नकल विक्रय पत्र दिनांक 03.11.2017 जो प्रदर्श–7 है। नकल निर्णय जिला एवं सत्र न्यायाधीश टोंक दिनांक 26.11.2024 प्रस्तुत की जो प्रदर्श–8 है। उक्त दस्तावेज शामिल पत्रावली किये गये तथा साथ ही अपने कथन के समर्थन मे न्यायिक दृष्टांत RBJ 1996 Page 8 HC, RBJ 2003 Page 340, RBJ 2002 Page 334, RBJ 2006 Page 2205, RBJ 2009 Page 578, RBJ 2013 Page 83, RBJ 1996 Page 576, RBJ 1998 Page 500, RBJ 1998 Page 610, RBJ 1998 Page 615, RBJ 2003 Page 205 प्रस्तुत किये तथा इसके विपरीत प्रतिवादीगण ने अपने कथन के समर्थन मे मोखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये।

वादीगण के वाद के समर्थन में साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्ल्यू. 01 नानूलाल पुत्र हरनाथ जाति जाट निवासी ग्राम करीमपुरा, देवपुरा मजरा तह0 पीपलू जिला टोंक, पी.डब्ल्यू. 02 जगदीश पुत्र हरनाथ जाति जाट निवासी ग्राम करीमपुरा, देवपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक, साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्ल्यू. 03 सूरजकरण पुत्र हरनाथ जाति जाट निवासी ग्राम करीमपुरा, देवपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक, साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्ल्यू. 04 बद्री पुत्र हरनाथ जाति जाट निवासी ग्राम करीमपुरा, देवपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक, साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्ल्यू. 05 श्योराम पुत्र हरनाथ जाति जाट निवासी ग्राम करीमपुरा, देवपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक, साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्ल्यू. 06 घासी पुत्र बजरंग जाति जाट निवासी ग्राम करीमपुरा, देवपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक, साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्ल्यू. 07 सूरज पुत्र मांगीलाल जाति जाट निवासी ग्राम करीमपुरा, देवपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक, साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्ल्यू. 08 प्रधान पुत्र गोपाल जाति जाट निवासी ग्रांम करीमपुरा, देवपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक ने अपने शपथ पत्रो में कथन किया कि भूमि आराजी ख0न0 3335 रकबा 02–17 बीघा जिसके साबिक ख0न0 2433 मिन रकबा 02–17 बीघा वाके ग्राम पीपलू वादीगण के पिता एवं पति स्व. हरनाथ पुत्र जोधा कोम जाट निवासी ग्राम करीमपुरा देवपुरा मजरा पीपलू के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। उक्त आराजी को प्रतिवादीगण के पिता स्व. गंगाराम पुत्र उंकार जाति जाट निवासी ग्राम करीमपुरा देवपुरा मजरा पीपलू ने अवैध एवं अवैधानिक तरीके से गत सेटलमेन्ट सम्वत् 2028 से 2047 में सेटलमेन्ट कर्मचारियों से साजिस करके अपने नाम करवा लिया। जिसका उसको कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही था। प्रतिवादी 01 लगायत 02 के पिता स्व. गंगाराम ने सहायक भू–प्रबन्धक अधिकारी टोंक के समक्ष इस आशय का दिनांक 06.10.1972 को पेश किया कि ख0न0 2925/1 वाके ग्राम पीपलू में उसका 1/2 हिस्सा है, और 1/2 हिस्सा हरनाथ का है। जिसमें 1/2 हिस्सा अंकित करवाया जावे, लेकिन उक्त आराजीयात बाबत् दिये गये आवेदन पत्र की पुश पर तत्कालिन भू–प्रबंधन कर्मचारियो व अधिकारियों ने गलत रूप से ख0न0 3335 रकबा 02–07 बीघा वाके ग्राम पीपलू जो कि तन्हा वादीगण के स्व. पिता व

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

पति हरनाथ की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि थी। जिसको अवैध व अवैधानिक तरीके से उसके नाम से हटा कर प्रतिवादीगण के पिता स्व. गंगाराम की खातेदारी में अंकित कर दिया, जबकि उक्त आराजी पर वादीगण के पिता एवं पति स्व. हरनाथ का कब्जा एवं काश्त बहैसियत खातेदार काश्तकार के वास्तविक रूप से चला आ रहा था। उसकी मृत्यु आज से 25 वर्ष पूर्व हो चुकी है, के उपरान्त से लगातार आज दिन तक वादीगण का ही उक्त आराजी पर कब्जा एवं काश्त चला आ रहा है और वे शांतिपूर्वक बहैसियत खातेदार काश्तकार के निर्बाध रूप से काश्त करते चले आ रहे है। स्व. हरनाथ का उसके जीवन से लगातार कब्जा एवं काश्त होने के कारण उक्त आराजी पर देरीना कब्जे के आधार पर वेसे भी वादीगण कानून खातेदार काश्तकार हो चुके है। इसलिए वादीगण को उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे, यदि वादीगण को उक्त विवादित आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित नही किया जाता तो वादीगण अपने जायज हक व अधिकार से वंचित हो जावेगे। जिसकी क्षतिपूर्ति संभव नही हो सकेगी। विवादीत आराजीयात प्रतिवादीगण के पिता स्व. गंगाराम के नाम गलत रूप से अंकित हो गई, लेकिन स्व. गंगाराम ने अपने जीवन काल में वादीगण एवं उनके पिता को यही आश्वासन देता रहा कि यह जमीन तुम्हारी है और मै तुम चाहोगे, तब भी इस भूमि के संबंध मे बयान कर तुम्हारे नाम दर्ज करवा दूंगा। स्व. गंगाराम की मृत्यु आज से 5 वर्ष पूर्व हो चुकी है और उसकी मृत्यु उपरान्त का दाखिल खारिज भी अन्य आराजीयात के साथ प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 02 के नाम अंकित हो जाने की वजह से अब उनके मन में बेईमानी आ गई है और वे खुलमखुला गांव में यह कर रहे है कि यह भूमि तो हमारे नाम है और विवादित आराजीयात को भी हस्तान्तरित करके रहेगे या किसी भी प्रकार से खुर्द–बुर्द करेगें। वादीगण हमारा कुछ भी नही बिगाड सकते है। ऐसी स्थिति में अब वादीगण के लिए यह भी आवश्यक हो गया है कि वे प्रतिवादीगण को सदा सर्वदा के लिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवा दे कि वे विवादित आराजीयात में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार से मजाहमत, मदाखलत बेजा नही करे, हस्तान्तरित नही करे। यदि प्रतिवादीगण को पाबन्द नही किया गया तो प्रतिवादीगण उक्त भूमि को किसी भी प्रकार से खुर्द–बुर्द कर देगे एवं हस्तानान्तरित कर देगे, जिसके पक्षकारान में आपस में अनावश्यक विवाद व मुकदमेबाजी बढेगी। इसलिए प्रतिवादीगण को सदा सर्वदा के लिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है कि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 दोरानें वाद विवादित आराजीयात का न्यायालय की अनुमति बिना दिनांक 03.11.2017 को विक्रय पत्र तहरीर करवाकर पंजीयन करवाया है, प्रारम्भतः ही वादीगण के हितो के प्रतिकूल तथा बेअसर है। उक्त विक्रय पत्र अवैध एवं शून्य है। उसकी कोई कानूनी मान्यता नही है, तथाकथित क्रेतागण को भी कोई अधिकार उत्पन्न नही होते है। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा प्रतिवादी संख्या 04 व 05 के पक्ष में आराजी ख0न0 3333 रकबा 02–17 बीघा का दौराने वाद वादग्रस्त भूमि का न्यायालय की अनुमति के बिना दिनांक 03.11.2017 को विक्रय पत्र तहरीर कर पंजीयन करवाया था, जो वादीगण के हितों के प्रंति आरम्भतः ही अवैध एवं शून्य था। जिसको वादीगण

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश टोंक में अकृत एवं शून्य घोषित किये जाने हेतु दीवानी प्रकरण जगदीश बनाम भूरा प्रकरण संख्या 22/2020 के द्वारा अपील किये जाने के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश टोंक ने अपने न्याय निर्णय दिनांक 26.11.2024 को विवादित विक्रय पत्र को अकृत/शून्य घोषित कर दिया गया है। वाद वादी डिक्री किया जावे। उपरोक्त वर्णित वादपत्र के चरण संख्या 01 लगायत 06 मेरे द्वारा लिखवाये गये है, जो मेरे निजी ज्ञान से सही एवं सत्य है।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने उक्त शपथ पत्रो पर जिरह नही किये जाने का कथन किया एवं प्रतिवादीगण की साक्ष्य नही करवाये जाने बाबत् भी कथन किया एवं वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर मुताबिक वादपत्र डिक्री किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की एवं सहमति स्वरूप आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। इस कारण प्रतिवादीगण की जिरह एवं साक्ष्य का अवसर बंद किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 के फौत होने पर कायम मुकाम स्वीकार कर वारिसान को नोटिस जारी किया गया, किन्तु बाद तामिल के पश्चात भी अनुपस्थित होने पर प्रतिवादी संख्या 1/1, 1/2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

वाद में कायम किये गये विवाद्यक बिन्दुओं पर उभयपक्ष ने बहस का निवेदन किया। अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में बताया कि भूमि आराजी ख0न0 3335 रकबा 02–17 बीघा जिसके साबिक ख0न0 2433 मिन रकबा 02–17 बीघा वाके ग्राम पीपलू वादीगण के पिता एवं पति स्व. हरनाथ पुत्र जोधा कोम जाट निवासी ग्राम करीमपुरा देवपुरा मजरा पीपलू के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। उक्त आराजी को प्रतिवादीगण के पिता स्व. गंगाराम पुत्र उंकार जाति जाट निवासी ग्राम करीमपुरा देवपुरा मजरा पीपलू ने अवैध एवं अवैधानिक तरीके से गत सेटलमेन्ट सम्वत् 2028 से 2047 में सेटलमेन्ट कर्मचारियें से साजिश करके अपने नाम करवा लियां। जिसका उसको कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही था। प्रतिवादी 01 लगायत 02 के पिता स्व. गंगाराम ने सहायक भू–प्रबन्धक अधिकारी टोंक के समक्ष इस आश्य का दिनांक 06.10.1972 को पेश किया कि ख0न0 2925/5/1 वाके ग्राम पीपलू में उसका 1/2 हिस्सा है, और 1/2 हिस्सा हरनाथ का है। जिसमें 1/2 हिस्सा अंकित करवाया जावे, लेकिन उक्त आराजीयात बाबत् दिये गये आवेदन पत्र की पुश पर तत्कालिन भू–प्रबंधन कर्मचारियो व अधिकारियों ने गलत रूप से ख0न0 3335 रकबा 02–07 बीघा वाके ग्राम पीपलू जो कि तनहा वादीगण के स्व. पिता व पति हरनाथ की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि थी। जिसको अवैध व अवैधानिक तरीके से उसके नाम से हटा कर प्रतिवादीगण के पिता स्व. गंगाराम की खातेदारी में अंकित कर दिया, जबकि उक्त आराजी पर वादीगण के पिता एवं पति स्व. हरनाथ का कब्जा एवं काश्त बहैसियत खातेदार काश्तकार के वास्तविक रूप से चला आ रहा था। उसकी मृत्यु आज से 25 वर्ष पूर्व हो चुकी है, के उपरांन्त से लगातार आज दिन तक वादीगण का ही उक्त आराजी पर कब्जा एवं काश्त चला आ रहा है और वे शांतिपूर्वक बहैसियत खातेदार काश्तकार के

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

निर्बाध रूप से काश्त करते चले आ रहे है। स्व. हरनाथ का उसके जीवन से लगातार कब्जा एवं काश्त होने के कारण उक्त आराजी पर देरीना कब्जे के आधार पर वेरो भी वादीगण कानून खातेदार काश्तकार हो चुके है। इसलिए वादीगण को उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे। स्व. गंगाराम की मृत्यु आज से 5 वर्ष पूर्व हो चुकी है और उसकी मृत्यु उपरान्त का दाखिल खारिज भी अन्य आराजीयात के साथ प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 02 के नाम अंकित हो जाने की वजह से अब उनके मन में बेईमानी आ गई है और वे विवादित आराजीयात को रहन, दान, बेचान तथा खुर्द बुर्द करने पर आमादा है एवं वादीगण को आराजी से बेदखल करने पर आमादा है। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 दौराने वाद विवादित आराजीयात का न्यायालय की अनुमति विना दिनांक 03.11.2017 को विक्रय पत्र तहरीर करवाकर पंजीयन करवाया है, प्रारम्भतः ही वादीगण के हितो के प्रतिकूल तथा बेअसर है। उक्त विक्रय पत्र अवैध एवं शून्य है। उसकी कोई कानूनी मान्यता नही है, तथाकथित क्रेतागण को भी कोई अधिकार उत्पन्न नही होते है। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा प्रतिवादी संख्या 04 व 05 के पक्ष में आराजी ख0न0 3333 रकबा 02–17 बीघा का दौराने वाद वादग्रस्त भूमि का न्यायालय की अनुमति के बिना दिनांक 03.11.2017 को विक्रय पत्र तहरीर कर पंजीयन करवाया था, जो वादीगण के हितों के प्रति आरम्भतः ही अवैध एवं शून्य था। जिसको वादीगण द्वारा माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश टोंक में अकृत एवं शून्य घोषित किये जाने हेतु उनवानी प्रकरण जगदीश बनाम भूरा प्रकरण संख्या 22/2020 के द्वारा अपील किये जाने के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश टोंक ने अपने न्याय निर्णय दिनांक 26.11.2024 को विवादित विक्रय पत्र को अकृत/शून्य घोषित कर दिया गया है। अतः डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् उद्घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज पारित फरमायी जाकर ख0न0 3335 रकबा 02–17 बीघा साविक ख0न0 2433 मिन रकबा 02–17 बीघा वाके ग्राम पीपलू के वादीगण खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती करवायी जाकर प्रतिवादीगण के नाम का अंकन हटवाया जाकर उनके स्थान पर वादीगण का नाम बतौर खातेदार काश्तकार के अंकित करवाया जावे। वादीगण ने वाद पत्र के समर्थन में मौखिक एवं दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत किये। वादीगण ने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेज साक्ष्य के रूप में नकल प्रार्थना पत्र दिनांक 06.10.1972 जो प्रदर्श–1 है, नकल खसरा संवत् 2022 ग्राम पीपलू जो प्रदर्श–2 है, नकल मिसल बंदोबस्त संवत् 2028 जो प्रदर्श–3 है, नकल मिलान क्षेत्रफल जो प्रदर्श–4 है, नकल जमाबंदी संवत् 59 से 62 जो प्रदर्श–5 है, नकल जमाबंदी खाता संख्या 40 संवत् 2075 से 2078 जो प्रदर्श–6 है एवं नकल विक्रय पत्र दिनांक 03.11.2017 जो प्रदर्श–7 है। नकल निर्णय जिला एवं सत्र न्यायाधीश टोंक दिनांक 26.11.2024 प्रस्तुत की जो प्रदर्श–8 है। उक्त दस्तावेज शामिल पत्रावली किये गय था साथ ही अपने कथन के समर्थन मे न्यायिक दृष्टांत RBJ 1996 Page 8 HC, RBJ 2003 Page 340, RBJ 2002 Page 334, RBJ 2006 Page 2205, RBJ 2009 Page 578, RBJ 2013 Page 83, RBJ 1996 Page 576, RBJ 1998 Page 500, RBJ 1998 Page 610, RBJ 1998 Page 615, RBJ 2003 Page 205 प्रस्तुत

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

किये तथा इसके विपरीत प्रतिवादीगण ने अपने कथन के समर्थन मे मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त आराजी के प्रतिवादी संख्या 01 व 02 रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार अभिधारी थे और उन्हे विधिक प्रावधानों के तहत अपनी कृषि आराजीयात को विक्रय करने का पूर्ण हक व अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा प्रतिवादी संख्या 04 व 05 के हक में करवाया गया विक्रय पत्र माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश टोंक ने अपने न्याय निर्णय दिनांक 26.11.2024 को विवादित विक्रय पत्र को अकृत/शून्य घोषित कर दिया गया है। जिसके कारण वादपत्र से उनका नाम डिलिट किया जा चुका है। यदि वाद वादी स्वीकार किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 02 को कोई विधिक आपत्ति नही है। मुताबिक वाद पत्र भूमि आराजी ख0न0 3335 रकबा 02–17 बीघा साबिक ख0न0 2433 मिन रकबा 02–17 बीघा वाके ग्राम पीपलू के वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, तो प्रतिवादीगण को कोई विधिक आपत्ति नही है। अतः वाद वादी स्वीकार कर डिक्री फरमाया जावे।

वादपत्र, जवाब वादपत्र, वादीगण के लिखित एवं मौखिक साक्ष्यो, उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस व प्रस्तुत कानुनी दृष्टांतो की विवेचना अनुसार निम्नलिखित तनकीवार विवेचना कर निर्णित की गई है, जो निम्नानुसार हैः–

1. आया आराजी खसरा न. 3335 जिसके साबिक खसरा नम्बर 2433 मिन वाके ग्राम देवपुरा मजरा पीपलू वादीगण के पिता हरनाथ पुत्र जोधा जाट की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि है।

वाद में कायम किये गये विवाद्यक बिन्दु को सिद्ध करने का भार वादीगण का है। इस संबंध में वादीगण ने उक्त वर्णित आराजीयात की जमाबंदी संवत् 2067–70 पेश की। जिसमें ख0न0 3335 रकबा 02–17 बीघा प्रतिवादी संख्या 1/1, 1/2 के पिता व प्रतिवादी संख्या 02 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। भू–प्रबन्ध विभाग के मिलान क्षैत्रफल संवत् 2028–47 (प्रर्दश–04) अनुसार हाल ख0न0 3335 रकबा 02–17 बीघा साबिक ख0न0 2433 मिन से बने है। खसरा भू–प्रबन्ध संवत् 2022–23 (प्रर्दश–02) के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात पूर्व में हरनाथ वल्द जोधा ज़ाति जाट के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी, प्रतिवादी संख्या 2 के अधिवक्ता का कोई साक्ष्य/जिरह नही करना तथा वाद को स्वीकार करने से यह सिद्ध होता है कि पूर्व में विवादित आराजी वादीगण के पिता हरनाथ पु. जोधा की खातेदारी में ही थी। वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यो शपथ पत्रो अनुसार विवादित आराजीयात वादीगण के स्व. पिता व पति हरनाथ की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि थी। विवादित भूमि के कब्जे काश्त होने के संबंध में साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्ल्यू. 01 से पी.डब्ल्यू. 07 वादीगण व स्वतन्त्र गवाहन द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर विवादित आराजीयात

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

पर वादीगण का ही कब्जा होने के कथन से कब्जा वादीगण का होना सिद्ध होता है, इस संबंध में प्रतिवादीगण का उक्त साक्ष्यो से जिरह करने से मना करवा वाद को स्वीकार करने से भी कब्जा वादीगण का सिद्ध होता है। अतः वादीगण उक्त विवादित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती करवाकर खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है। अतः विवाद्यक बिन्दू संख्या 01 वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

2. आया प्रतिवादीगण के पिता ने सेटलमेन्ट संवत् 2028 मे साजिश करके अपने नाम लगा ली है, जो दुरूस्त किये जाने योग्य है।

वाद में कायम किये गये विवाद्यक बिन्दु को सिद्ध करने का भार वादीगण का है। गंगाराम पुत्र औंकार जाति जाट नि. करीमपुरा द्वारा सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत एक प्रार्थना पत्र, जो प्रर्दश–01 के अनुसार प्रतिवादीगण के पिता गंगाराम द्वारा भू–प्रबन्ध अधिकारी को प्रार्थना पत्र ख0न0 2925/5/1 को कब्जे काश्त के आधार पर अपने नाम दर्ज करने हेतु प्रस्तुत किया था, किन्तु प्रार्थना पत्र के पीछे आवेदित ख0न0 2925/5/1 के स्थान पर विवादित ख0न0 3335 को वादीगण के पिता हरनाथ की खातेदारी से हटाकर गलत तरिके से प्रतिवादीगण के पिता के नाम दर्ज करने का आदेश किया गया, जो प्रार्थना पत्र के तथ्यो के विपरित है। प्रार्थना पत्र अनुसार निर्णय पारित नही करके गलत तरिके से प्रार्थना पत्र से विपरित खसरे का निर्णय करना प्रदर्श–1 से सिद्ध होता है। विवादित भूमि के कब्जे काश्त होने के संबंध में साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्ल्यू. 01 से पी.डब्ल्यू. 07 वादीगण व स्वतन्त्र गवाह्न द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर विवादित आराजीयात पर वादीगण का ही कब्जा होने के कथन से कब्जा वादीगण का होना सिद्ध होता है, इस संबंध में प्रतिवादीगण का उक्त साक्ष्यो से जिरह करने से मना करवा वाद को स्वीकार करने से भी कब्जा वादीगण का सिद्ध होता है। इस संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा कोई जवाब, साक्ष्य, जिरह नही करने से भी यह सिद्ध होता है कि सेटलमेंट के दौरान भू–प्रबन्ध अधिकारियो द्वारा गलत तरिके से विवादित आराजी को प्रतिवादीगण के पिता के नाम दर्ज कर दी गई थी। जिसकी ताईद खसरा भू–प्रबन्ध संवत् 2022–23 (प्रर्दश–02) में लगे नोट से होती है, कि विवादित आराजीयात पूर्व में हरनाथ वल्द जोधा की खातेदारी थी। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा उक्त राजस्व रिकॉर्ड की प्रविष्टि बिना किसी आधार के परिवर्तित की गई है। विवादित आराजीयात का राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती किये जाने योग्य है। वादीगण दुरूस्ती करवाने के अधिकारी है। अतः उक्तानुसार विवाद्यक बिन्दू संख्या 02 वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादी भी बंद किया जाकर बहस हेतु निवेदन किया गया है एवं दौराने बहस वाद वादीगण स्वीकार करते हुए मुताबिक वादपत्र वाद डिक्री किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की है एवं सहमति स्वरूप आदेशिका पर हस्ताक्षर किये है। लिहाजा प्रतिवादी संख्या 01 के फोत हो जाने के कारण प्रकरण में पुनः प्रतिवादी संख्या 01 के वारिसान् को आवश्यक पक्षकार होने के कारण पक्षकार बनाया जाकर विधिवत् शामिल करवायी गई है। तत्पश्चात भी प्रतिवादी संख्या 1/1 व 1/2 अनुपस्थित रहे एवं उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रकरण में पुनः बहस सुनी गई है एवं दौराने बहस प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से वाद वादीगण स्वीकार करते हुए मुताबिक वादपत्र वाद डिक्री किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की है एवं सहमति स्वरूप आदेशिका पर हस्ताक्षर किये है। इस प्रकार उभयपक्ष के सहमति के आधार पर विवाद्यक बिन्दू संख्या 05 वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय किया जाता है।

–: आदेश :–

पत्रावली का अवलोकन किया गया व उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने वाद वादीगण मुताबिक वादपत्र स्वीकार किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की है तथा वाद में कायम किये गये विवाद्यक बिन्दू वादीगण के पक्ष में निर्णित होने के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि भूमि आराजी ख0न0 3335 रकबा 02–17 बीघा (साबिक ख0न0 2433 मिन रकबा 02–17 बीघा) वाके ग्राम देवपुरा, पटवार हल्का पीपलू द्वितीय में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पीपलू विवादित आराजीयात से प्रतिवादीगण का नाम विलोपित कर मुताबिक निर्णय अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम का अंकन करे। साथ ही प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह स्वयं जरिये एजेन्ट, नौकर, रिश्तेदार या अन्य किसी दिगर व्यक्ति के माध्यम से वादीगण की उक्त वर्णित आराजीयात के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करे। मजामहत एवं मदाखलत नही करे। डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 19.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं नियमानुसार दफ्तर दाखिल हो।

(गुणराज ...आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ऑर्डर 20 रूल्स 6 व 7 जाप्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)
ब अलजास गणराज बडगोती आर0ए0एस0

जगदीश पुत्र हरनाथ जाति जाट निवासी करीमपुरा मजरा, तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)

(कुल कस 03) वादीगण

बनाम

भूरा पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी करीमपुरा मजरा, तहसील पीपलू जिला टोंक (मृतक)
1/1. उद्दालाल पुत्र भूरा जाति जाट निवासी करीमपुरा मजरा, तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)

(कुल कस 04) प्रतिवादीगण

मुकदमा न0 36/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू. मुझ गणराज बडगोती उपखण्ड अधिकारी पीपलू व हाजिरी श्री राजाराम चौधरी एड0 मिनजानिब मुद्दई रूबरू प्रतिवादी संख्या 02 श्री विवेक चौधरी एड0 व प्रतिवादी संख्या 1/1, 1/2 अनुपस्थित मनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाकर डिक्री दी जाती है कि भूमि आराजी ख0न0 3335 रकबा 02–17 बीघा (साबिक ख0न0 2433 मिन रकबा 02–17 बीघा) वाके ग्राम देवपुरा, पटवार हल्का पीपलू द्वितीय में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पीपलू विवादित आराजीयात से प्रतिवादीगण का नाम विलोपित कर मुताबिक निर्णय अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम का अंकन करे। साथ ही प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह स्वयं जरिये एजेन्ट, नौकर, रिश्तेदार या अन्य किसी दिगर व्यक्ति के माध्यम से वादी की उक्त वर्णित आराजीयात के उपयोग उपभोग में बाधा व मजामहत एवं मदाखलत नही करे।

निजी..................मबलिक.. बाबत..............................खर्चा इस मुकददमें का मय सूद वगैरह..............................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक..को अदा करे।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

बसरख़त मेरे दस्तख़त व मुहर अदालत के आज तारीख़ 19.12.2025 को जारी की गई।

दस्तख़त A

उप खण्ड अधिकारी

मोहर

ओहदा पीपलू (टोंक)

मुददई	रूपये	पैसे	मददायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प बजह सबूत			स्टाम्प बजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चा के फार्म परं कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned with OKEN Scanner